रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 1972/माघ 26, 1893
No 54] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 1972/MAGHA, 26, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February 1972

G.S.R. 54(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with sub-clause (ii) of clause (b) and clause (e) of sub-section (1) of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby appoints Sarvashri S. K. Ghose, M. K. Mukharji and S. Tilak as directors in the Board of Directors of the Food Corporation of India established under the said Act, and makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely:—

In the said notification,—

(i) Under the heading "Directors appointed under section 7(1)(b)", for the entry relating to item (3), the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri S. K. Ghose, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure), New Delhi.";

(ii) Under the heading "Directors appointed under section 7(1)(e)"—

(a) for the entry relating to item (9), the following entry shall be substituted, namely:—

"(9) Shri M. K. Mukharji, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), New Delhi.";

(b) after item (10) and the entry relating thereto, the following item shall be added, namely:—

"(11) Shri S. Tilak, 4/5, Kalumal Estate 'B' Juhu, Bombay-54.".

[No. F. 4-5/71-FCC.]

A. K. MAJUMDAR,
Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1972

सा०का०नि० 54(अ).—खाद्य निगम अधिनियम 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ०) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (2) के साथ पठित, उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सर्वश्री एस० के० घोष, एस०के० मुखर्जी और एस० तिलक को उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में निदेशक नियुक्त करती है और भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 37 तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, —

(i) "धारा 7 (1) (ख) के अधीन नियुक्त निदेशक" शीर्षक के अन्तर्गत मद (3) से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"श्री एस० के० घोष,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)
नई दिल्ली ।

(ii) "धारा 7 (1) (ङ०) के अधीन नियुक्त निदेशक" शीर्षक के अन्तर्गत—

(क) मद (9) से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(9) श्री एस०के० मुखर्जी,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग),
नई दिल्ली ।

(ख) मद (10) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(11) श्री एस० तिलक,
4/5 कालूमल एस्टेट—बी,
जुहू बम्बई—54 ।"

[सं० फा० 4-5/71-एफ० सी०सी०]

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972.